.9.22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पर वकील वादी एवं सरकार पैरोकार की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीया हेमलता पिता मंशाराम एकोत निवासी बरबोदनिया ने अवगत कराया कि मौजा थाणी प०म० बरबोदनिया की खाता संख्या 193/178 कुल किता 5 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा एवं मौजा बरबोदनिया की खाता संख्या 353/334 कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा स्थित है जिसमें प्रार्थिया का नाम मन्जूला पिता मशाराम है जबकि प्रार्थिया का सही नाम हेमलता पिता मन्शाराम है ~~है~~। राजस्व अधिकारियों द्वारा विरासती नामान्तरण इंद्राज के दौरान प्रार्थिया का नाम मन्जूला पिता मन्शाराम अंकित हो गया जो गलत है इन्द्राज दुरस्ती कर प्रार्थिया का सही नाम हेमलता पिता मन्शाराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी तहसीलदार सागवाड़ा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थिया का नाम विवाह से पूर्व घर मंजुला था विवाह होने के बाद नाम बदलकर हेमलता रख लिया गया जबकि नामान्तरण के दौरान मन्जुला नाम होने से वही दर्ज किया गया।

पत्रावली का अवलोकन एवं परीक्षण से जाहिर होता है कि राजस्व रिकार्ड के संधारण के दौरान किसी प्रकार की लीपीकीय त्रुटि नहीं की जाकर प्रार्थिया द्वारा विवाह उपरान्त अपना नाम परिवर्तित कर लिया गया जो 136 के अन्तर्गत शुद्धिकरण की श्रेणी में नहीं आता है अतः प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]
28/9/22